जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
जबलपुर

क्र.11 / महं.भत्त / ले.नि. / 23–24 / दिनांक / /2023

आदेश

म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्र. एफ–4–1 / 2023 / नियम / चार दिनांक 27 जनवरी 2023 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को 01 जनवरी, 2023 (भुगतान माह फरवरी, 2023) से सातवें वेतनमान अंतर्गत 38% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2– राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि व दर से महंगाई भत्ता दिया जाए:–

अवधि जब से देय	वर्तमान में प्रचलित महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत	महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत	वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की कुल दर
सातवें वेतनमान अंतर्गत दिनांक 01.01.2023 से	38%	04%	42%

3– उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 01 जनवरी, 2023 से कुल 42% हो जाएगी।

4– राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार महंगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 01 जुलाई, 2023 (भुगतान माह अगस्त, 2023) से किया जायेगा।

5– दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में क्रमशः माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023 में किया जायेगा।

6–राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 की अवधि में सेवानिवृत्त / मृत हो गये हैं, उन्हें / नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।

7– महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

8– महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।

9– यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

निरंतर......2

अतः राज्य शासन के आदेश क्रमांक–एफ–4–1/2023/नियम/चार भोपाल दिनांक 19 जुलाई, 2023 के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय अमले को भी उपरोक्तानुसार बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01 जनवरी 2023 से शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार एवं शर्तो के आधीन स्वीकृत किया जाता है।

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार

सही-

लेखानियंत्रक

क्र.11/महं.भत्त/ले.नि./23–24/ 346 दिनांक 21/07/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

1. कुलसचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
2. समस्त अधिष्ठाता संकाय/महाविद्यालय, ज.ने.कृ.वि.वि जबलपुर।
3. समस्त संचालक/सह संचालक/वरिष्ठ वैज्ञानिक/वैज्ञानिक, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।
5. उपलेखानियंत्रक/कार्यपालन यंत्री/लेखा अधिकारी/समस्त सहायक लेखानियंत्रक/समस्त सहायक लेखा अधिकारी/समस्त अनुभाग अधिकारी/सहायक पुस्तकालय, ज.न.कृ.वि.वि. जबलपुर।
6. कुलपति जी के निज सचिव, ज.ने.कृ.वि.वि जबलपुर।
7. आवासीय उप संचालक/समस्त आवासी सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, जबलपुर/रीवा/सागर/टीकमगढ/नरसिंहपुर/दमोह/पन्ना/सतना/सीधी वारासिवनी।
8. समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी, ज.ने.कृ.वि.वि. जबलपुर।

लेखानियंत्रक